कार्यालय प्रमुख अभियंता,
मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग
"निर्माण भवन",प्लाट नं.27-28 प्रथम तल अरेरा हिल्स, मध्यप्रदेश भोपाल

Web Site: www.gov.in pwd mp email:-pwd Bho@mp.in Phone-0755-2551372, Fax 2556527

क्र. 384/ बाढ़ एवं अतिवृष्टि/ संचार/ 2017/2543 भोपाल, दिनांक 29/6/17

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता,
समस्त अधीक्षण यंत्री,
समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग
म.प्र.

विषयः- अतिवृष्टि एवं बाढ से निपटने संभागीय स्तर पर की गई व्यवस्था की जानकारी बाबत्।

संदर्भः-1.शासन का पत्र क्र. 3247/ 3607/ 201/ 19/ यो दिनांक 16.06.2017।
2. इस कार्यालय का पत्र क्र. 384/ बाढ़ एवं अतिवृष्टि/ संचार/ 2017/ 2104/ दिनांक 01.06.2017

--00--

संदर्भित पत्र की छायाप्रति अवलोकन हेतु संलग्न प्रेषित है। पत्रों में उल्लेखित बिन्दुओं के संदर्भ में बाढ़ नियंत्रण हेतु संभागीय स्तर पर की गई तैयारिया पूर्ण किये जाने का पालन प्रतिवेदन भिजवाने की व्यवस्था करें।

सहपत्रः- उपरोक्तानुसार।

29/6/17

मुख्य अभियंता(संचार)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 3247/360/201 /19/यो

भोपाल दिनांक 16/06/2016

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. मुख्य अभियंता {रीवा परि0} लोक निर्माण विभाग, रीवा।
3. मुख्य अभियंता {उत्तर परि0} लोक निर्माण विभाग, ग्वालियर।
4. मुख्य अभियंता {राज0 परि0} लोक निर्माण विभाग, भोपाल
5. मुख्य अभियंता म0प्र0 सड़क विकास निगम भोपाल।
6. मुख्य अभियंता {पश्चिम परि0} लोक निर्माण विभाग, इन्दौर।
7. मुख्य अभियंता {रा0रा0 परि0} लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
8. मुख्य अभियंता {सागर परि0} लोक निर्माण विभाग, सागर।
9. मुख्य अभियंता {मध्य परि0} लोक निर्माण विभाग, जबलपुर।
10. मु० अ० (उज्जैन परि०) लो० नि० वि० उज्जैन।

विषय:- अतिवृष्टि एवं बाढ़ से निपटने की पूर्व तैयारियों के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण

संदर्भ:- कार्यालय राहत आयुक्त म०प्र० का पत्र क्र. 828/रा.आ.सा./बाढ़/2017 भोपाल दिनांक 09/06/2017

उपरोक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति मय संलग्न पत्र के आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार

16/06/2017
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म०प्र० शासन लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय भोपाल।

CE(P)

21/6/17

22-06-17

कार्यालय प्रमुख अभियंता लो. नि. वि., भोपाल 24834 23-6-

2716

2318 23/6/17

R-1789

कार्यालय राहत आयुक्त,
220, राजस्व राहत भवन,
अरेरा हिल्स, भोपाल

कमांक 828/रा.आ.सां./बाढ़/2017 भोपाल, दिनांक 09/06/2017

आगामी मानसून वर्षा के पूर्व बाढ़ से बचाव के संबंध में राज्यस्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 05.06.2017 को आयोजित की गई है। बैठक का कार्यवाही विवरण सादर प्रेषित है।

उप राहत आयुक्त
मध्यप्रदेश

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग।
5. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग।
6. अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग।
7. प्रमुख सचिव, आयुष विभाग।
8. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
9. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास।
10. प्रमुख सचिव, मत्स्य एवं मछुआ कल्याण विभाग।
11. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, कृषि।
12. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग।
13. प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग।
14. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास तथा पर्यावरण विकास विभाग।
15. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग।
16. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
17. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग।
18. प्रमुख सचिव, राजस्व/पुर्नवास विभाग।
19. प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग।
20. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
21. प्रमुख सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग।
22. प्रमुख सचिव, जनसंपर्क विभाग।
23. पुलिस महानिदेशक।
24. महानिदेशक, नगर सेवा एवं नागरिक सुरक्षा।
25. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर।

12 JUN 2017

A.P.S. P.W.D. GOVT. OF M.P.
No. 11929
Date 12/6/17
Mantralaya, Bhopal

क्रमांक 3607
दिनांक 14/6/17
लोक निर्माण विभाग (योजना)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

विषय –अतिवृष्टि एवं बाढ़ से निपटने की पूर्व तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण

––00––

आगामी मानसून वर्षा के पूर्व अतिवृष्टि एवं बाढ़ से निपटने की पूर्व तैयारियों के संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 05.06.2017 को अपरान्ह 3:45 बजे बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की विषयवार समीक्षा की गई। परिशिष्ट – "अ" संलग्न अनुसार विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में उपस्थित हुए।

प्रमुख सचिव, राजस्व द्वारा बताया गया कि अतिवृष्टि एवं बाढ़ से निपटने के पूर्व तैयारियों के संबंध में चेक लिस्ट अनुसार कार्यवाही करने हेतु समस्त जिला कलेक्टरों एवं संभागायुक्तों को दिनांक 08.05.2017 को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चेक लिस्ट में आपदा संवेदनशील क्षेत्रों का आंकलन, बाढ़ उन्मुख नदियॉ, बड़े बॉधों की सूची, बाढ़ के मुख्य कारण, पूर्व सूचना एवं प्रचार–प्रसार की प्रणाली, आपातकालिन कार्यवाहियॉ, उपकरणों की जानकारी, जनशक्ति तथा खोज एवं बचाव दलों का प्रशिक्षण, जन–जागृति अभियान, नोडल अधिकारियों का नामांकन, आपदा नियंत्रण केन्द्र, पूर्व अनुबंध एवं त्वरित क्षति आंकलन आदि पर शीघ्रता से कार्यवाही करने के निर्देश जिले को दिए गए हैं।

प्रमुख सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि राहत आयुक्त कार्यालय में राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष दिनांक 15 जून से 30 सितम्बर तक संचालित किया जाता है। इसी प्रकार प्रदेश के सभी जिलों व तहसील स्तर पर भी बाढ़ नियंत्रण कक्ष संचालित होते हैं। प्रदेश स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष व जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर बाढ़ की स्थिति में कार्य किया जाता है। जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के माध्यम से प्रतिदिन की जानकारी राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष को भेजने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली पूर्व तैयारियों के अनुक्रम में सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जिला स्तरीय अधिकारियों को बाढ़ संभावित नदी नालों में यातायात नियंत्रण हेतु बैरियर की व्यवस्था, बाढ़ की स्थिति में चेतावनी बोर्ड लगाने एवं यातायात व्यवस्था एवं नदी नालों के रपटों के समीप संकेतक/सूचना बोर्ड लगाने आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य भी समय पर पूर्ण कर ली जाए।

कार्यवाही लोक निर्माण विभाग

2/ अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि तहसीलवार जिन पुलो एवं रपटों पर नदी नाले का प्रवाह पुल के ऊपर से हो सकता है की सूची दिनांक 15 जून तक जारी कर दी जाए। साथ ही सभी कलेक्टरों को सूचित किया जाए कि वे सभी प्राइवेट बस ऑपरेटर कम्पनियों को लिखित में निर्देश करें कि लोक निर्माण विभाग द्वारा जो बैरियर्स और चेतावनी बोर्ड लगाए जाते हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। पुरानी बसों एवं अनफिट वाहनों पर पूर्णतः रोक लगाई जाए।

कार्यवाही लोक निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग

3/ अपर सचिव, नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सभी जिलों को वर्षा के पूर्व आवश्यक तैयारियों यथा सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था, जल भराव की स्थिति में सभी छोटे–बड़े नालों की सफाई आदि के निर्देश प्रसारित किये गये है। जिन जिलों के निचली बस्ती में समान्यतः जल भराव की स्थिति निर्मित होती है ऐसे क्षेत्रों के लोगो को ऊंचे क्षेत्रों में शिफ्ट होने के निर्देश दिये गये है।

कार्यवाही नगरीय प्रशासन विकास विभाग

4/ प्रमुख सचिव, जलसंसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि अंतर्राज्यीय नदियों पर स्थित बांधों एवं बड़े तालाबों से पानी छोड़ने के संबंध में संबंधित विभागों, यथा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, केन्द्रीय जल आयोग की स्थाई इकाई तथा जल संसाधन विभाग बाढ़ की चेतावनी के संबंध में सूचनाओं के आदान–प्रदान के संबंध में विश्वसनीय व्यवस्था के लिए समन्वय

करेंगे। अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि बांधों से जल छोड़े जाने के 24 घण्टे पूर्व जानकारी दी जाए।

कार्यवाही जल संसाधन विभाग

5/ प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बाढ़ उन्मुख क्षेत्रों में अभियान चला कर मलेरिया आदि रोगो की रोकथाम की कार्यवाही की जाएगी। गतवर्ष मण्डला, डिण्डौरी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा जनित बीमारिया उत्पन्न हुई थी। बैठक में अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये कि ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षित कर ओ.आर.एस तथा वर्षा जनित बीमारियों की रोकथाम एवं शुद्ध पेयजल के संबंध में प्रचार–प्रसार किया जायें। वर्षाकाल के दौरान समस्त आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश प्रसारित किये गये है। जिलों में दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जिन जिलों में बाढ़ एवं अतिवर्षा की स्थिति में कठिनाई आएगी, वहां डॉक्टर्स एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी। जिला कलेक्टर द्वारा स्वंय सेवी संस्थाओं में ओ.आर.एस एवं जीवन रक्षक औषधियां बंटवाई जायें।

कार्यवाही लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

6/ बैठक में निर्देश दिये गये कि अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति में पशुओं के चारे/घास का भण्डारण सुनिश्चित किया जाय। पशु चिकित्सा हेतु दलों एवं दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

कार्यवाही पशुपालन विभाग

7/ बैठक में बाढ़ उन्मुख जिलों में खाद्यान्न का भण्डारण तथा केरोसिन आदि के अतिरिक्त भण्डारण किये जाने के निर्देश दिये गये है। प्रदेश में राजस्व ग्रामों के साथ–साथ वन ग्रामों के लिए भी खाद्यान एवं केरोसिन का भण्डारण किया जाए प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा बताया गया कि प्रदेश के 163 पहुंच विहीन उचित मूल्य की दुकानों में भंडारण की व्यवस्था कर ली गई है।

कार्यवाही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

8/ मौसम विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि मध्यप्रदेश में मानसून इस वर्ष सामान्य रहेगा। अधिकारियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि इस वर्ष अच्छी वर्षा होने की संभावना है। अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि संबंधित विभागों के अधिकारियों का पिछले वर्ष की तरह एक वाट्स एप ग्रुप को तैयार किया जाए ताकि अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति में सहज समन्वय सुनिश्चित हो सके। वाट्स एप ग्रुप के माध्यम से मौसम विभाग के अधिकारी वर्षा से संबंधित के पूर्वानुमानों की जानकारी ग्रुप के अधिकारियों को अवगत करायेंगे, साथ ही पूर्वानुमान हेतु डाप्लर मौसम राडार का उपयोग करने के निर्देश दिये गये। वाट्स एप ग्रुप में मुख्य सचिव महोदय भी शामिल रहेंगे तथा विभागों के अधिकारी जो ग्रुप में शामिल रहेंगे जो निम्नानुसार है।

1. मुख्य सचिव
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग
3. पुलिस महानिदेशक
4. अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग
5. अपर मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
6. महानिदेशक, होमगार्ड
7. प्रमुख सचिव राजस्व/राहत आयुक्त
8. प्रमुख सचिव, जन संपर्क विभाग
9. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग
10. सचिव, गृह विभाग
11. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये है कि केन्द्रीय मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमानों के संबंध में संबंधित विभागों एवं उनके इंजीनियरों को एक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। डाप्लर राडार बंद न हो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि मौसम विभाग को सर्व संबंधित अधिकारियों के ई–मेल आईडी भी उपलब्ध कराई जाए।

कार्यवाही राजस्व/मौसम विभाग,

9/ सचिव, गृह विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में एस.डी.आर.एफ. की टीम तैयार है। बाढ़ आपदा से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपस में समन्वय स्थापित

कर कार्य किया जायेगा। सचिव, गृह द्वारा यह भी बताया गया कि क्षमता निर्माण के तहत प्राप्त बजट का उपयोग कर आपदा से निपटने के लिए संसाधनों में वृद्धि की जा सकेगी। मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिए गए कि आर्मी, रेलवे एवं अन्य विभागों के आवश्यक दूरभाष नम्बर प्राप्त कर अपडेट किया जाए। साथ ही मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि एस.डी.आर.एफ. एवं होमगार्ड्स आदि के बचाव दलों को पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि आपदा के दौरान हेलीकाप्टर की उपलब्धता हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

बैठक में निर्देश दिए गए कि पुलिस के पास मोटर बोट्स, बोट्स एवं अन्य बाढ़ बचाव सामग्रियों को क्रियाशील स्थिति में रखा जाए। मरम्मत योग्य बोट्स एवं अन्य सामग्री की आवश्यक मरम्मत सुनिश्चित की जाए। तत्संबंध में डिविजनल कमाण्डेंट होमगार्ड द्वारा बताया गया कि मध्यप्रदेश के 51 जिलों में EOC(Emergency Operating Centre) संपूर्ण वर्षाकाल के दौरान संचालित होता है जिसके द्वारा बचाव का कार्य किया जाता है। अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त अवधि में 24 घंटे अलर्ट रह कर आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए।

कार्यवाही गृह विभाग
महानिदेशक, होमगार्ड
समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश

10/ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बाढ़ के संभावित क्षेत्रों में पेयजल स्त्रोतों के शुद्धिकरण, गुणवत्ता परीक्षण, परिवहन, भण्डार में आवश्यक केमिकल्स की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे। पेयजल शुद्धिकरण संयंत्रों का आवश्यक स्थानों का उपयोग कर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता बना कर रखी जाए तथा हेण्डपंप वर्षाकाल तक चालू रखे जायें।

कार्यवाही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

11/ बैठक में निर्देश दिये गये कि अतिवर्षा एवं बाढ़ के समय विद्युत सप्लाई बनाये रखने की व्यवस्था की जाय एवं कन्ट्रोल रूम भी बनाये जाय ।

कार्यवाही ऊर्जा विभाग

12/ केन्द्रीय जल आयोग का अपना कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जा चुका है। आयोग द्वारा डेटा मॉनिटर कर सभी एजेंसियों को भेजा जाय। बाढ़ की स्थिति में किसी प्रकार की समस्या आने पर सूचना सर्व संबंधितों को तत्समय जारी किया जाय ताकि स्थिति पर नियंत्रण किया जा सके।

कार्यवाही केन्द्रीय जल आयोग

13/ बैठक में निर्देश दिये गये कि पंचायतें नदी नाले उफान पर होने की स्थिति में इसकी सूचना कन्ट्रोल रूम को दें। निचले स्थानों पर रहने वाली जनसंख्या के लिए शिफ्ट करने का कार्य अन्य विभागों से समन्वय कर पंचायत द्वारा किया जाता है जिसके स्थाई निर्देश पूर्व से ही जारी किये गये हैं। निर्देशित किया गया कि सभी पंचायतों को तत्संबंध में पुनः निर्देश जारी किए जाएं।

कार्यवाही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

14/ प्रभावित क्षेत्र का सड़क संपर्क टूटने पर रेलवे की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। रेल के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यो को प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता हैं। राहत के परिप्रेक्ष्य में खाद्यान्न, दवाईयॉ एवं अन्य जीवन उपयोगी वस्तुओं को लाने ले जाने, बचाव कार्य के परिप्रेक्ष्य में सेना, होमगार्ड के जवानों, उपकरणों के आवागमन में रेलवे द्वारा सहयोग किया जायेगा। मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि कौन से जिले एवं डिविजन किस रेलवे के जोन के अंतर्गत आते है, रेलवे जोनवार एवं जिले वार जानकारी लिस्ट उपलब्ध कराई जाय। आपदा की स्थिति में हेड क्वाटर स्टेशन मास्टर को सूचना दी जायेगी एवं स्टेशन मास्टर पूरे रेलवे को सूचना देंगे। अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये है कि संबंधित क्षेत्र के स्टेशन मास्टर को जल संसाधन विभाग, जिला प्रशासन तथा भारत सरकार के विभागों से सतत् संपर्क में रहकर आपातकालीन स्थिति में तत्काल कार्यवाही की जाए। तत्संबंध में रेलवे के एवं संबंधित विभागों की एक समन्वय बैठक आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु की जाए।

**कार्यवाही संभागीय रेल
प्रबंधक भोपाल**

15/ कार्यक्रम अधिकारी, आकाशवाणी केन्द्र भोपाल द्वारा बताया गया कि हमारे 14 केन्द्र है, जो सम्पूर्ण मध्यप्रदेश को कवर करता है मौसम विभाग के संपर्क में रहकर सुबह 6.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक सूचना देने का कार्य करते है।

आकाशवाणीं, आपदा के दौरान हमेशा तत्पर रहती है। आपदा के दौरान राहत एजेंसियों एवं जिला अधिकारियों तथा जन जागरण के माध्यम से जानकारी प्रसारित की जाती है।

अतिवर्षा एवं बाढ़ के बाद जो मौसमी बीमारियां होती है उनसे बचने के उपाय भी आकाशवाणी से प्रसारित किये जाते हैं।

निर्देश दिये गये कि भारी वर्षा तथा बाढ़ की स्थिति निर्मित होने पर पूर्व चेतावनी, स्थानीय लोगों को सही जानकारी देने एवं बार–बार सचेत करने में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी आवश्यक प्रसारण सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही आकाशवाणी एवं दूरदर्शन

16/ जनसंपर्क अधिकारी रेडक्रास द्वारा बैठक में बताया गया कि जिला प्रशासन के सहयोग से रेडक्रास के आपात सहायता केन्द्र संचालित होते हैं जिसके द्वारा बाढ़ प्रभावितों को आपातकाल में भोजन, दवाई तथा तत्कालिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस गतिविधि का प्रचार सभी जिलों में किया जाए।

कार्यवाही रेडक्रॉस

17/ समस्त जिला कलेक्टर बाढ़ प्रभावितों को पुर्नवासित करने की दृष्टि से वैकल्पिक आश्रय स्थल की व्यवस्था के संबंध में स्कूल, धर्मशाला आदि को चिन्हांकित कर लेवे एवं उसकी एक सूची राहत आयुक्त कार्यालय स्थित राज्य बाढ़ कन्ट्रोल रूम (फोन नं. 0755–2441419 एवं फैक्स नं. 0755–2440032) को दें।

समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश

अंत में धन्यवाद सहित बैठक समाप्त हुई।

6.6.17

(अरूण पाण्डेय)
प्रमुख सचिव, राजस्व एवं
राहत आयुक्त, म.प्र.